न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 118/2018

जी.सी.एम.एस. :: 2018/00151

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सोजत		1 रूकड़ी पत्नी डायाराम जाति सिरवी निवासी बगड़ी नगर, तहसील सोजत के कायम मुकाम – 1.1 चन्द्रादेवी पुत्री रूकड़ी 1.2 सुशीला पुत्री रूकड़ी 1.3 भंवरलाल पुत्र रूकड़ी 1.4 मोहनलाल पुत्र रूकड़ी जातिगण सिरवी निवासीगण बगड़ी नगर, तहसील सोजत जिला पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–:: आदेश ::–

दिनांक : 30/03/2026

प्रार्थी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम बगड़ी प्रथम की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार खसरा संख्या 1820 किस्म बारानी अव्वल दर्ज है। उक्त भूमि के पुराने खसरा संख्या 149 है, जिसकी किस्म गै.मु.नाड़ी थी। उक्त जैर आराजी कि मूल किस्म गैर मुमकिन नाड़ी थी, जिसे भू प्रबन्धन के दौरान किस्म परिवर्तन कर खसरा नम्बर 1820 की किस्म गैर मुमकिन नाड़ी से बारानी अव्वल कर दी गई। जैर आराजी भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003

अति. जिला कलक्टर, पाली

अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में जैर आराजी की किस्म पुनः पूर्व की स्थिति में बहाल की जानी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जैर आराजी की किस्म पुनः नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावे।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम बगड़ी प्रथम की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के अनुसार खसरा संख्या 1820 किस्म बारानी अव्वल अप्रार्थी रूकड़ी के नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। ग्राम बगड़ी के खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2025 के अनुसार वर्तमान खसरा संख्या 1820 के गत खसरा संख्या 149 है तथा गत खसरा की किस्म गै.मु. नाड़ा अंकित है, जिसे परिवर्तन कर बारानी प्रथम दर्ज किया गया। इसी प्रकार खतौनी बन्दोबस्त के अनुसार खसरा संख्या 149 की किस्म गै.मु.नाड़ी दर्ज है अर्थात् जैर आराजी की मूल किस्म गै.मु.नाड़ी थी तथा भू प्रबन्ध के दौरान उक्त भूमि खसरा संख्या 1820 की किस्म परिवर्तन कर गै.मु.नाड़ी से बारानी प्रथम कर दी गई। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा निर्णित मुकद्दमें के या उसके द्वारा की गई कार्यवाहियों के अभिलेख पर दिये गये आदेश की वैधता अथवा औचित्य से तथा कार्यवाहियों की नियमितता से अपने आप को सन्तुष्ट करने के प्रयोजन के लिये अभिलेख मंगाने एवं परीक्षण करने के पश्चात मण्डल को अथवा राज्य सरकार को रेफरेन्स करने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में भूमि कि किस्म गै0मु0 नदी दर्ज थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है तथा प्रतिबन्धित श्रेणी में शुमार होने से खातेदारी अधिकार भी प्रदान नहीं किये जा सकते है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त शिवजी लाल व अन्य बनाम बोर्ड आफॅ रेवेन्यू व अन्य, 2007(2) सी.डी.आर. 1724(राज) : 2007(2) डी.एन.जे. (राज) 898 एच.सी. में यह प्रतिपादित किया कि तालाब या नदी के पेटे की भूमि मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के कारण खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत (Accrue) नहीं होते।

राजस्व (ग्रुप–7) विभाग जयुपर के परिपत्र क्रमांक–प3(146) राज–7/2011 दिनांक 05.07.2012 के अनुसार केचमेण्ट क्षेत्र को माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.02.2012 में परिभाषित किया है, यह निम्नानुसार है – where ever the word catchment has been mentioned presently it should consider to mean the land of the river, pond, tributaries etc from where water flows. जैर आराजी का आवंटन आदेश की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण के द्वारा अप्रार्थी रूकड़ी को बतौर खातेदार दर्ज किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 की उपधारा 5 के अनुसार रेफरेन्स के लिए कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त कस्तूरी बाई बनाम स्टेट आफॅ राजस्थान, 2002(1) सीडीआर 648 (राज.) : 2002 (2) डी.एन.जे. (राज.) 933 के अनुसार रेफरेन्स के मामलों में परिसीमा अधिनियम लागू नहीं होता। भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान पुराने खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर तहरीर करते समय उक्त भूमि कि किस्म गै.मु.नाड़ी से बा.अ. दर्ज की गई है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में जैर आराजी की किस्म पुनः पूर्व की स्थिति में बहाल की जानी है, इसके तहत उक्त रेफरेन्स मेन्टेनेबल है

अति. जिला कलेक्टर, पाली

तथा हस्तगत प्रकरण इससे पूर्णतः प्रभावित है। प्रकरण के तथ्यों के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान सरकान बनाम लट्टू, 2013 आर.आर.डी. 727: 2014 (1) आर.आर.टी. 256 में यह अभिनिर्धारित किया कि भूमि गैर मुमकिन नाला दर्ज थी–विपक्षी की खातेदारी में दर्ज कर दी गई सम्बन्धित नामान्तरण प्रभावित हुआ– धारा 16 आर.टी.ए. के अनुसार नदी, नाला, तालाब की भूमि में खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते–निदेश स्वीकार किया गया। भूमि को पुनः सिवाय चक गैर मुमकिन दर्ज किए जाने का आदेश हुआ नामान्तरण किया गया, जो कि हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये दिशा निर्देशों की पालना में जैर प्रार्थना पत्र आराजी की किस्म पुनः पुर्व की स्थिति बहाल किया जाना है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि ग्राम बगड़ी प्रथम के खसरा संख्या 1820 किस्म बारानी अव्वल में दर्ज खातेदार की प्रविष्टि को निरस्त फरमाकर जैर आराजी को पुनः गै.मु.नाड़ा दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावे।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली